रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 1983/श्रावण 14, 1905
No. 339] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 1983/SRAVANA 14 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1983

का. आ. 560(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्दमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति के और उससे ऊपर की

पंक्ति के सभी पुलिस अधिकारियों को, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. 29012/8/82-एफ. वाई. (टी.-1)]

सू. प्र. जाखनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1983

S.O. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), the Central Government hereby authorises all Police Officers of and above the rank of Deputy Superintendent of Police of the Union Territory Administration of the Andaman and Nicobar Islands to exercise the powers under sub-section (1) of Section 19 of the said Act.

[F. No. 29012|8|82-FY(T-I)]

S. P. JAKHANWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983